सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 238 / 2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

1. अमनदीप कौर पत्नी गगनदीप सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया।
2. जशनप्रीत कौर बराड पत्नी शगनजीत सिह बराड पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया।

—वादीगण

बनाम्

1. सुखजीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित —

1. श्री नरेश मण्डा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री राधे शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय **दिनांकः—** 12.6.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि चक 2 डीएनजी जमाबंदी सम्वत 2071—2074 जमाबन्दी 2078 के खाता संख्या 118 / 33 वादीगण की सास के नाम से 3.289 है. व चक 8 बीजीपी जमाबंदी सम्बत 2073—2076 जमाबन्दी 2078 के खाता संख्या 74 / 34 में 1.518 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी जमाबंदिया संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की साझा कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने घरू तौर पर भूमि का विभाजन अर्सा पूर्व कर लिया था, बंटवारा में उक्त कृषि भूमि वादीगण के हिस्सा में आ गई, लेकिन उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 नाम से दर्ज रही है जबकि वादीगण उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर निंविवाद रूप काश्त करती चली आ रही है लेकिन उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज है। वादीगण को चक 2 डीएनजी जमाबंदी सम्वत 2071—2074 जमाबंदी 2078 के खाता सं. 118 / 33

12/6/25
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2025
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल रतनपुरा

वादीगण को 3.289है. बहिब कृषि भूमि व चक 8 बीजीपी जमाबंदी सम्वत 2073–2076 जमाबंदी 2078 के खाता सं. 74/34 में 1.518 है. बहिब कृषि भूमि घरेलू बंटवारा में हिस्सा में आई हुई है जिसे वादी गण अपने कब्जा काश्त अनुसार हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण चक 2 डीएनजी जमाबंदी सम्वत 2071–2074 जमाबंदी 2078 के खात संख्या 118/33 में 3.289 है. बहिब व चक 8 बीजीपी जमाबंदी सम्वत 2073–2076 जमाबंदी 2078 के खाता सं. 74/34 में 1.518 है. बहिब नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण मौका पर वाद पत्र की चरण संख्या 4 के अनुसार बहिब ही काबिज है कब्जा काश्त बाबत किसी तरह का कोई विवाद नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में हिस्सा घोषित न होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा असर पडता है व रकम राज वाटरमेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 से कई दफा कहा कि आप विवादग्रस्त आराजी का वादीगण को दावा की चरण संख्या 4 के अनुसार कृषि भूमि का विभाजन होना मान ले तो प्रतिवादी संख्या इस बात से इन्कार हो गया, यही वाद का कारण है। प्रतिवादी संख्या 2 को भूमि धारक होने के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। लिहाजा वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावेः–

(क) चक 2 डीएनजी जमाबंदी सम्वत 2071–2074 जमाबंदी 2078 के खाता संख्या 118/33 वादीगण को 3.289 है. बहिब व चक 8 बीजीपी जमाबंदी सम्वत 2073–20769 जमाबंदी 2078 के खाता संख्या 74/34 में 1.518 है. बहिब की दर से खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रति.सं. 1 ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 2 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोष प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। वादी अमनदीप कौर ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया।

13/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल रतनपुरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ने हाजिर आकर राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि वादीगण को चक 2 डीएनजी ज.स. 2071–2074 जमाबन्दी 2078 के खाता संख्या 118/33 में 3.289 हेक्टर बहिब एव चक 8 बीजीपी ज.स. 2073–2076 जमान्दी 2078 के खाता संख्या 74/34 में 1.518 हेक्टर बहिब नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 सुखजीतकौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा इस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोटः– उक्त आराजी बैंक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 12/6/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/6/2023

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर स्थल रतनपुरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

प्रकरण संख्याः– 238/2023

1. अमनदीप कौर पत्नी गगनदीप सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया।
2. जशनप्रीत कौर बराड पत्नी शगनजीत सिह बराड पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया।

वादीगण

बनाम्

1. सुखजीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वादीगण मिन जामिन मुदई श्री राधे शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण को चक 2 डीएनजी ज.स. 2071–2074 जमाबन्दी 2078 के खाता संख्या 118/33 में 3.289 हेक्टर बहिब एवं चक 8 बीजीपी ज.स. 2073–2076 जमान्दी 2078 के खाता संख्या 74/34 में 1.518 हेक्टर बहिब नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 सुखजीतकौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा इस डिक्री का भाग रहेगा।

नोटः– उक्त आराजी बैंक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....X.....नल.....X.....मुब्लिक.....X.....निल.....X.....बाबत्.....X.....निल.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....X.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12/6/2023 को जारी किया गया।

12/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

शिविर स्थल रतनपुरा